



CFV/201

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल राजालियर केंप, सागर म. प्र.

कानूनी छतरपुर/अ. 2018/1651
दोना पिता रजू अदीर

निवासी ग्राम डडिया तह घंडला जिला छतरपुर म. प्र.

.. निगरानीकर्ता

B.O.R.
12/2/18

// विलङ्घ //

म. प्र. शासन

... अन्वेदक


निगरानी अर्पित धारा 50 म. प्र. भू. रा. संविता 1959.

निगरानी विलङ्घ आदेश अपर क्लेपटर जिला छतरपुर के प्र. क्र. - 66/
स्व. प्र. निग. /2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17. 8. 17 से
परिवेदित होकर प्रस्तुत ।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है -

यह कि प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता की भूमि
खंसरा नंबर 5/2 में से एवं 200/1 में से रक्षा क्रमशः 0.405, 1.595
हे. भूमि स्थित ग्राम उल्का रानीपुरा तहसील घंडला जिला छतरपुर
की भूमि का व्यवस्थापन पदटा भूमि स्वामी अधिकारी का प्रदाय
किया जाना विशेष उपबंधनियम 1984 के तहत तहसीलदार, बछौन
के न्यायालयीन प्र. क्र. - 222/अ-1984/1987-88 में पारित आदेश
दिनांक 30.06.1988 के द्वारा प्रदान किया गया था । 28व्यं बाद
अपर क्लेपटर, छतरपुर द्वारा अधिकारी भू अधिकारी छतरपुर के प्रातिवेदन के
आधार पर तहसीलदार, बछौन के आदेश दिनांक 30. 6. 88 के विलङ्घ
तक्रान्त निगरानी के प्र. क्र. - 66/स्व. प्र. निग. /12-13 के द्वारा के




28/6/18

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1651

दीना विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२२-०८-२०१९	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 66/स्व.निग./2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-08-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	  (जे०क० जैन) सदस्य